न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर ए एस)
राजस्व वाद संख्या – 140 / 2018

उनवान

मस्जिद खाकीशाह बनाम अब्बास अली वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

–: आदेश :– दिनांक :– 13.7.2L

अधिवक्ता प्रतिवादी / प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में मस्जिद खाकीशाह के नाम दर्ज है। वादी उक्त वाद व्यवस्थापक की हैसियत से लाया है। जबकि वादी उक्त आराजी का व्यवस्थापक या मौलवी नही है। भूमि वक्फ बोर्ड की होने तथा वादी द्वारा कोई पंजीकृत प्रमाण पत्र पेश नही किया है। अतः वाद विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता वादी / अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी की कब्जा काश्त की है तथा वादी के पूर्वजों के नाम से कदीम से कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजी 550 वर्षो से वादी व उसके पूर्वज के कब्जाधीन है। उक्त आराजी वक्फ बोर्ड के अधीन नही है। प्रतिवादी द्वारा दर्ज ऐतराज साक्ष्य का विषय है। अतः आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में मस्जिद खाकीशाह के नाम दर्ज है। वादी ने उक्त वाद मस्जिद खाकीशाह के व्यवस्थापक की हैसियत से वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया है। वादी ने अपने वाद मे कथन किया है कि वह मस्जिद का व्यवस्थापक व देखरेख करने वाला है। वाद के साथ वादी ने जो प्रस्तुत किये है। उसके अनुसार भूमि वक्फ बोर्ड की है। वादी ने अपने वाद के साथ वक्फ बोर्ड द्वारा जारी प्रतिनिधि प्रमाण पत्र पेश नही किया है। वादी उक्त आराजी का खातेदार नही है। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नही किया है जिससे वह उक्त आराजी का व्यवस्थापक सिद्व होता हो। भूमि वक्फ बोर्ड की होने के कारण आराजी के सम्बंध मे किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को ही है। आराजी मुतनाजा वादी की अथवा उसके पूर्वजो की खातेदारी नही होने के कारण वादी को आराजी मूतनाजा पर वाद लाने का अधिकार नही है। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के आधार पर वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के विधिक प्रावधान के विपरित होने के कारण वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही चलने योग्य नही है।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद